



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112021-230904
CG-MH-E-02112021-230904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 539]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(अक्तूबर, 2021 के 26 वें दिन पारित)

मुंबई, 27 अक्तूबर, 2021

फा.सं.टीएमपी/59/2019.—बीपीसीएल इस प्राधिकरण ने बीपीसीएल के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव का 15 सितम्बर, 2021 के आदेश संख्या टीएमपी/59/2021-बीपीसीएल के द्वारा निपटान किया है। उक्त अधिसूचना और आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, (भाग-4, खंड- III) में 28 सितम्बर, 2021 के राजपत्र संख्या 419 में अधिसूचित हुआ। अधिसूचना और आदेश की संसूचना बीपीसीएल, लाईसेंस प्रदाता पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और संबंधित प्रयोक्ताओं को 30 सितम्बर, 2021 के ई-मेल द्वारा दी गई।

2.1. इस संबंध में बीपीसीएल ने अपने 09 अक्तूबर 2021 के अपने ई-मेल द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि 28 सितम्बर, 2021 को, यथा अधिसूचित, संशोधित दरमानों के हिंदी पाठ में, गलती से, टंकण संबंधी अशुद्धि हो गयी है।

2.2. गलती का ब्यौरा और किया गया सुधार निम्नवत है:

28 सितम्बर, 2021 को अधिसूचित दरमान का संदर्भ	जैसा हिंदी पाठ की अधिसूचना में दिया गया है	निम्नानुसार पढा जाये

अध्याय-II घाटशुल्क प्रभार 2.4 अन्य तरल कार्गो	क्र. सं.	प्रशुल्क श्रेणी	विदेशी दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)	तटीय दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)	क्र. सं.	प्रशुल्क श्रेणी	विदेशी दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)	तटीय दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)
	2.4 अन्य तरल कार्गो				2.4 अन्य तरल कार्गो			
	(1)	खाद्य तेल	82.38	49.43	(1)	खाद्य तेल	88.91	53.35
	(2)	शीरा	155.59	93.35	(2)	शीरा	69.14	41.49

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./403/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**CORRIGENDUM**(Passed on this 26th day of October 2021)

Mumbai, the 27th October, 2021

F.No. TAMP/59/2019- BPCL.—This Authority vide Order No. TAMP/59/2019- BPCL dated 15 September 2021 has disposed the proposal of BPCL for general revision of its Scale of Rates. The Notification and Order was notified in the Gazette of India Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 28 September 2021 vide Gazette No.419. The Notification and Order has been communicated to the BPCL, Licensor Port Jawaharlal Nehru Port Trust and the concerned users vide email dated 30 September 2021.

2.1. In this connection, as pointed out by the BPCL vide its email dated 9 October 2021 it has been noticed that inadvertently, some typographical errors have occurred in the Hindi Version of the revised SOR, as notified on 28 September 2021.

2.2. The details of the error and the correction to be made are detailed below:

Reference to SOR notified on 28 September 2021	As appeared in the Hindi Version of Notification				To be read as given below			
अध्याय-II घाटशुल्क प्रभार 2.4 अन्य तरल कार्गो	क्र. सं.	प्रशुल्क श्रेणी	विदेशी दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)	तटीय दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)	क्र. सं.	प्रशुल्क श्रेणी	विदेशी दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)	तटीय दर प्रति मीट्रिक टन (रुपए में)
	2.4 अन्य तरल कार्गो				2.4 अन्य तरल कार्गो			
	(1)	खाद्य तेल	82.38	49.43	(1)	खाद्य तेल	88.91	53.35
	(2)	शीरा	155.59	93.35	(2)	शीरा	69.14	41.49

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./403/2021-22]